निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 692) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

24 जुलाई 2024

सं० वि०स०वि०–17/2024–**2773**/वि०स० ।— "बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक जो बिहार विधान सभा में दिनांक 24 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

[वि०स०वि०-16/2024]

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** :–
(1) यह अधिनियम बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 कही जायेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जिस तिथि से राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना निर्गत करेगी।

2. **परिभाषाएँ** :– (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"अभ्यर्थी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अन्तर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) **"संचार युक्ति"** का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ha) में है;

(ग) **"सक्षम प्राधिकरण"** से राज्य सरकार का ऐसा विभाग अभिप्रेत है जो परीक्षा प्राधिकरण के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(घ) **"कम्प्यूटर नेटवर्क", "कम्प्यूटर संसाधन", "कम्प्यूटर प्रणाली"** का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः है;

(ड़) **"लोक परीक्षा का संचालन"** के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन कराने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;

(च) **"संस्थान"** में से कोई लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है;

(छ) **"अधिसूचना"** से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ज) **"संगठित अपराध"** से ऐसी विधि विरूद्ध गतिविधि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षड्यंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु साझे हित को बढ़ाने के लिए कारित की जाय;

(झ) **"सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक है;

(ञ) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) **"लोक परीक्षा"** से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) **"लोक परीक्षा प्राधिकरण"** से लोक परीक्षाओं को संचालित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) **"लोक परीक्षा केन्द्र"** से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग भी

सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित हैं जिनका प्रयोग लोक परीक्षा के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सकेगा;

(ढ) **"सेवा प्रदाता"** से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, जिसके अंतर्गत किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी सामग्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप-ठेकेदार और कम्प्युटर संसाधन या किसी अन्य सहायता के, जिनको किसी भी नाम से जाना जाय, प्रदाता भी सम्मिलित हैं जो लोक परीक्षा के संचालन के प्रयोजन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं ; और

(ण) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है; बिहार सरकार।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में हैं।

अध्याय 2
अनुचित साधन और अपराध

3. **अनुचित साधन** ।– लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराया जाने वाला कोई कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा, परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा–

(i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;

(ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना;

(iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;

(iv) किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना;

(v) लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें ऑपटिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीटें भी है;

(vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;

(viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना;

(x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना;

(xii) परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुगम बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आवंटन में हेर–फेर करना;

(xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालना या सदोष परिरोध करना; या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;

(xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाईट बनाना; और

(xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना।

4. **अनुचित साधन के लिए षड्यंत्र** ।– कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड़यंत्र नहीं करेगा।

5. **लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान ।–**

(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है या उसमें नहीं लगाया गया है और जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन को भंग करने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने में अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई भी व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व–

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी गोपनीय सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए प्रश्नपत्र से संबंधित या संदर्भ में हो।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके किसी भाग, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, को अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करना कारित करेगा और न ही इसका पता लगने देगा।

6. **अन्य अपराध ।–** यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है, तो सेवा प्रदाता तत्काल अपराध की रिपोर्ट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को करेगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा :

परंतु, यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुगम बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा।

7. **परीक्षा केन्द्र के अलावे किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जायेगा ।–** लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र से भिन्न, लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगा :

परंतु, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केंद्र में कोई परिवर्तन किया जाता है।

8. **सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध ।–**

(1) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है।

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और किसी अन्वेषण के दौरान प्रथम दृष्ट्या यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा :

परंतु, इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अध्याय 3
अपराधों के लिए दंड

9. **संज्ञेय अपराध ।—** इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होंगे।

10. **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए शास्ति ।—**

(1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रूपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रूपये तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(3) जहाँ अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रूपये के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

11. **संगठित अपराध ।—**

(1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो एक करोड़ रूपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधो के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

(2) यदि संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और समपहरण के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा की समानुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।

अध्याय 4
जांच और अन्वेषण

12. **अधिकारियों को जाँच करने का अधिकार ।—**

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक से अन्यून पंक्ति का अधिकारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को अन्वेषण को किसी अन्वेषण अभिकरण को निदिष्ट करने की शक्तियां होगी।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

13. **लोक परीक्षा प्राधिकार के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।**— लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

14. **किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।**— इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरूद्ध नहीं होगी :

परंतु, किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसी लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे :

परंतु यह और कि, कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवारण नहीं करेगी जहां प्रथम दृष्ट्या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान होता है।

15. **इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों के अतिरिक्त होंगे ।**— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत् किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में :

परंतु, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत् किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी अंसगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

16. **नियम बनाने की शक्ति ।**—

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :—

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेस, कार्यकलाप अधिकथित करना :

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए।

17. **नियमों का निर्धारण ।**— इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए या जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा, किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति** :—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा तीन वर्ष के भीतर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति ।**— यह अधिनियम अनुसूची में उल्लिखित सभी लोक परीक्षा प्राधिकरणों पर लागू होगा और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम, यदि कोई हो, तो, उसे निरस्त माना जायेगा। किसी अन्य लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिए अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित अधिनियम, जिसका अनुसूची में उल्लेख नहीं है, पूर्ववत् लागू रहेगा।

अनुसूची
[धारा–2 (ट) को देखें]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षाः–

1. बिहार लोक सेवा आयोग
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग
4. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
5. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग
6. केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार
7. अन्य कोई प्राधिकरण, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य सरकार ने भर्त्ती के साथ-साथ लोक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, परीक्षा चक्र को छोटा करना तथा आयोगों को यथा-आवश्यक चरणों में परीक्षा लेने तथा परीक्षा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन के माध्यम से लेने की स्वतंत्रता देना शामिल है।

वर्तमान में, राज्य सरकार और उसकी एजेन्सियों द्वारा लोक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों द्वारा अपनाए जा रहे अनुचित साधनों या किये जा रहे अपराधों से संबंधित कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है। इसलिए, यह जरूरी है कि लोक परीक्षाओं में कदाचार करने वाले तत्वों की पहचान की जाए और एक व्यापक राज्य स्तरीय कानून द्वारा उनसे प्रभावी ढ़ंग से निपटा जाए।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों या कारित अपराधों की रोकथाम को विनियमित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 अधिनियमित है तथा इसे राज्यों में लागू करने हेतु मॉडल विधेयक प्रारूप भारत सरकार द्वारा प्रेषित है। तदनुरूप बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 प्रस्तावित है।

इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है जो विभिन्न अनुचित तरीकों में लिप्त हैं और मौद्रिक या गलत लाभ के लिए लोक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे राज्य सरकार को राज्य स्तरीय लोक परीक्षाओं के संचालन में बाधा डालने वाले आपराधिक तत्वों को रोकने में सहायता मिलेगी।

अतः उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करना इस विधेयक का उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभिष्ट है। (सम्राट चौधरी)

(नीतीश कुमार)
भार–साधक सदस्य।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना
दिनांक–24.07.2024

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 692-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in